म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 /10/2024

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/परिपत्र/2023/ 515

प्रति,

1. संयुक्त/उप संचालक
   म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
   आंचलिक कार्यालय, ...(समस्त)।
2. सचिव
   कृषि उपज मंडी समिति .... (समस्त)।

विषयः- मंडी प्रांगण में समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की घोष नीलामी प्रारंभ करने के संबंध में।

संदर्भः- इस कार्यालय का पत्र क्र./नियमन/248/पार्ट-4/154 भोपाल, दिनांक 03/11/2021

उपरोक्त विषय में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 36 व मंडी समितियों के लिए उपविधि सन 2000 की कंडिका 16 में उल्लेखित प्रावधानों का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में समय-समय पर निर्देशित किया जाता रहा है। इसी संबंध में संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

अतः उपरोक्त विषय में मंडी अधिनियम, उपविधि के प्रावधानों एवं जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

03/10/24

संयुक्त संचालक (नियमन)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 /10/2024

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/परिपत्र/2023/ 516

प्रतिलिपि :-

1. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. गार्ड फाइल।

03/10/24

संयुक्त संचालक (नियमन)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/नियमन/248/पार्ट-4/ 154 भोपाल दिनांक 3 /11/2021

प्रति

संयुक्त संचालक

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

आंचलिक कार्यालय - ____ (समस्त)

भारसाधक अधिकारी/सचिव

कृषि उपज मंडी समिति

___ ज़िला - ____ (समस्त)

विषय -मंडी प्रांगण मे समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की घोष नीलामी प्रारम्भ करने के संबंध मे |

म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 36 के अंतर्गत मंडी प्रांगण मे विक्रय हेतु लायी गयी अधिसूचित कृषि उपज की कीमत खुली नीलामी पद्धति से निर्धारित करने की व्यवस्था है जिसमे शासन द्वारा जिन कृषि उपज का समर्थन मूल्य घोषित किया गया हैं, उस कृषि उपज की बोली समर्थन मूल्य से कम पर प्रारम्भ नहीं होने का प्रावधान है | उक्त व्यवस्था के तहत मंडी प्रांगण मे जिन कृषि उपज का शासन द्वारा समर्थन मूल्य घोषित किया गया है उसके घोष नीलामी मे बोली समर्थन मूल्य से ही प्रारम्भ की जाएगी | घोष नीलामी मे कृषि उपज का जो विक्रय संव्यवहार समर्थन मूल्य से कम दर पर संपादित होंगे उन सभी सौदों मे कृषि उपज का नमूना मंडी प्रशासन द्वारा संधारित किया जाएगा और उसमे परिशिष्ट -01 पर संलग्न "नमूना परीक्षण पर्ची" रखी जाएगी ताकि भविष्य मे सौदेवार नमूना को सुगमतापूर्वक चिन्हित किया जा सके |

मंडी प्रांगण मे विक्रय होने वाली कृषि उपज की गुणवत्ता (F.A.Q/NON F.A.Q) का निर्धारण प्रांगण प्रभारी और बोलीकर्ता मंडी कर्मचारी द्वारा किया जाएगा | कृषि उपज की "औसत अच्छी किस्म" (FAQ) शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर ही तय होगा | यदि प्रांगण प्रभारी और बोलीकर्ता मंडी कर्मचारी के द्वारा कृषि उपज की निर्धारित किस्म से विक्रेता /कृषक अथवा क्रेता व्यापारी सहमत नहीं होते हैं तो उस स्थिति मे मामले का निराकरण मंडी सचिव द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय क्रेता/विक्रेता दोनों के लिए मान्य होगा |

उपरोक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित किया जाये |

संलग्न : उपरोक्तानुसार |

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/नियमन/248/पार्ट-4/ भोपाल दिनांक /11/2021

प्रतिलिपि – सूचनार्थ प्रेषित।

- अपर मुख्य सचिव महोदय, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल ।

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बो
भोपाल

"नमूना परीक्षण पर्ची "

कृषक का नाम - ______________________

पता - ______________________

मोबाइल नो. - ______________________

नीलामी दिनांक - ______________________

कृषि उपज का नाम - ______________________

आवक मात्रा - ______________________(बोरे)

नमूना मात्रा - ______________________(ग्राम)

नमूना क्रमांक - ______________________

कृषक हस्ताक्षर

प्रांगण प्रभारी / बोलीकर्ता कर्मी